	(ख) ग्राम साधारण निकाय या ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद अथवा जिला परिषद का वेतनभोगी अथवा लाभ के पद पर हो;	
	ग) द्वीप परिषद के साथ अथवा अन्तर्गत अथवा की ओर से किसी अनुबन्ध अथवा रोज़गार में द्वीप परिषद द्वारा अथवा के लिए किए जा रहे किसी कार्यों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई भागीदारी अथवा धन लाभ रखता हो;	
	(घ) किसी सरकारी अथवा किसी नगरपालिका अथवा पंचायती राज संस्थान अथवा जनजाति परिषद का कर्मचारी हो;	
	(ड.) भ्रष्टाचार के लिए सरकारी अथवा नगरपालिका अथवा पंचायती राज संस्थान अथवा जनजाति परिषद की सेवा से निष्कासित हो;	
	(च) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 109 अथवा 110 के अन्तर्गत अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा देने हेतु आदेश दिया हो ;	
	(छ) हिंसा अथवा नैतिक चरित्रहीनता में शामिल होते हुए किसी अपराध के लिए अपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो और सज़ा दी गई हो जिसकी अवधि तीन माह से कम न हों और ऐसे कैद पर रहने के बाद उसकी रिहाई से पाँच वर्ष तक की अवधि समाप्त नहीं हुई हो;	
	(ञ) 21 वर्ष की आयु पूरा नहीं किया हो;	
	(ट) यदि वह विकृत बुद्धि का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है;	
	(ठ) जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा भ्रष्ट आचारण अपनाने अथवा चुनाव संबंधी अपराध करने के लिए, ऐसी अयोग्यता अवधि के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा तत्समय लागू चुनाव संबंधी किसी विधि के अन्तर्गत अयोग्य ठहराया गया हो अथवा;	
	(ड) खण्ड (ज) के अधीन रहते हुए लोक सभा के चुनाव के प्रयोजन हेतु तत्समय लागू किसी विधि के द्वारा अथवा अन्तर्गत अयोग्य ठहराया गया हो;	